



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा

एससीओ सं. 68-70, सैक्टर-17ए, चण्डीगढ़

दूरभाष : 0172-2703522, 2714614

वर्ष 2016-17 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए फैश/रिन्यूवल मैरिट-कम-मिन्स छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आवेदन प्राप्ति हेतु अंतिम फैश/रिन्यूवल तिथि 31 अक्टूबर, 2016

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों नामतः मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, ईसाई, जैन एवं पारसी से संबंधित छात्रों हेतु उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में अन्डर ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर (भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चयनित) तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्सों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित छात्रों से निर्दिष्ट प्रपत्रों पर आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

छात्रवृत्ति हेतु शर्तें

- 1 छात्र/छात्रा हरियाणा राज्य का निवासी हो।
- 2 छात्र के माता-पिता अथवा अभिभावकों को सभी स्रोत से वार्षिक आय रूपये 2.50 से अधिक न हो।
- 3 छात्र द्वारा पूर्व परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने उपरान्त छात्रवृत्ति निरन्तर रखी जाएगी।
- 4 आयकर प्रमाण पत्र तथा अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट (एस0डी0एम/तहसीलदार या स्वयं तथा माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रमाणित हो) जारी होना चाहिये अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।
- 5 ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आधार नम्बर अनिवार्य है, इसलिए विद्यार्थियों को उनके आधार कार्ड बनाने के लिए परामर्श दिया जाता है।
- 6 विद्यार्थी को ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अपना स्वयं का बैंक खाता संख्या भरना होगा एवं बैंक खाता संख्या आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। (इस सम्बन्ध में अपने बैंक की शाखा से सम्पर्क करें)
- 7 छात्रवृत्ति एक परिवार के दो विद्यार्थियों से अधिक को नहीं दी जाएगी।
- 8 इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति धारक इस कोर्स को करने के लिए कोई भी अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त नहीं कर सकता।
- 9 भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार छात्रवृत्ति की राशि सीधे तौर पर छात्रों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जायेगी (डी0बी0टी माध्यम)
- 10 प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदायों में लडकियों के लिये 30% छात्रवृत्ति आरक्षित है। छात्रवृत्ति की विभाजन तालिका नीचे दी गई है:-

मुस्लिम		सिक्ख		ईसाई		जैन		पारसी		बौद्ध	
लक्ष्य	30%	लक्ष्य	30%	लक्ष्य	30%	लक्ष्य	30%	लक्ष्य	30%	लक्ष्य	30%
379	114	363	109	8	2	18	5	0	0	2	1

छात्रवृत्ति दर

क्र0सं0	वित्तीय सहायता का प्रकार	हॉस्टलर हेतु दर	डे-स्कॉलर हेतु दर
1.	रखरखाव भत्ता (केवल 10 माह हेतु)	रु0 10,000/-प्रतिवर्ष (1,000/-प्रतिमाह)	रु0 5,000/-प्रतिवर्ष (500/-रु0 प्रतिमाह)
2.	कोर्स शुल्क	20,000/-रु0 प्रतिवर्ष तथा वारतविक शुल्क जो भी कम हो	20,000/-रु0 प्रतिवर्ष तथा वारतविक शुल्क जो भी कम हो
	कुल जोड़	30,000/-	25,000/-

टाईमलाईन

क्र0सं0	गतिविधियां	दिनांक (नई)	दिनांक (नवीनीकरण)
1.	छात्रों द्वारा नई/नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिये आनलाईन आवेदन प्रस्तुत	15 जुलाई, 2016 से 31 अक्टूबर, 2016	15 जुलाई, 2016 से 31 अक्टूबर, 2016

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पात्र संस्थानों हेतु पूरे कोर्स शुल्क की अदायगी की जायेगी। इस छात्रवृत्ति योजना के अधीन आश्रित पूरे कोर्स शुल्क की अदायगी संस्थानों एवं कोर्सों की सूची वेबसाइट :- www.minorityaffairs.gov.in पर देखी जाये।

आवेदन कैसे करें:

केवल ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे एवं ऑफ लाईन आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।

- 1 विद्यार्थी, जो अन्य राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के निवासी हैं, वह भी ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
 - 2 विद्यार्थियों को वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर उपलब्ध फ़िक्चेटली आरकड क्वश्चन (FAQs) नियमों एवं शर्तों को ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए परामर्श दिया जाता है।
 - 3 नया और नवीकरण के मामले के लिए छात्रों द्वारा आवेदन पत्रों के दस्तावेजों (पूर्व फाईनल परीक्षा प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र एवं अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार नम्बर, पैन कार्ड की प्रति)को आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है। अपलोड दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाईन आवेदनों की स्कूटनी चयनिक कार्यप्रवाह के अनुसार संबंधित संस्थान/जिला/राज्य के द्वारा किया जाएगा।
 - 4 नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- अधिक विवरण के लिए www.minorityaffairs.gov.in एवं www.scholarships.gov.in पर देखें।

निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
हरियाणा चण्डीगढ़

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT, HARYANA

SCO No. 68-70, Sector-17 A, Chandigarh

Tel. 0172-2703522, 2714614

ONLINE APPLICATION FOR MERIT-CUM-MEANS SCHOLARSHIP FRESH/RENEWAL FOR STUDENTS BELONGING TO THE MINORITY COMMUNITIES FOR THE YEAR 2016-17

Last Date of receipt of Online Application for Fresh and Renewal Scholarship by 31st October, 2016. Online applications are invited on the prescribed format from the students belonging to the Minority Community i.e. Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Zoroastrians(Parsi) & Jain pursuing technical /professional courses(selected by Government of India Ministry of Minority Affairs) at Under Graduate/Post Graduate Level, in an Institution/Recognized by appropriate authority for Merit-cum-Means scholarships for the year 2016-17 to be awarded as per eligibility criteria/condition by the Ministry of Minority Affairs, Govt. of India.

Conditions for Scholarship:

- Students should be permanently residing in Haryana State only.
- The annual income, from all sources, of the student's parents or guardian should not exceed Rs. 2.5 lakh.
- The continuance/new grant of award will be subject to securing 50% marks in the previous examination.
- The Income Certificate and Minority Community Certificate should be issued by 1st Class Magistrate(S.D./Tehsildar or Self Declaration by students/parents) otherwise application will be rejected.
- Aadhar Card Number is mandatory to apply online so students are advised to get their Aadhar cards in advance.
- The students have to fill his/her own Bank Account Number, while applying online application & their Bank Account Number should be Aadhar enabled.
- Scholarships will not be given to more than two students in a family.
- A scholarship holder under this scheme will not avail any other Scholarship/Stipend for pursuing the same course.
- The scholarship amount will be directly transferred to students bank account through (DBT) Direct Benefit Transfer system.
- 30% of the scholarships is reserved for Girls Students & distribution of scholarship shall be as under:

Muslim		Sikh		Christian		Jain		Parsi		Buddhist	
Target	30%	Target	30%	Target	30%	Target	30%	Target	30%	Target	30%
379	114	363	109	8	2	18	5	0	0	2	1

Rate of Scholarship

Sr.No.	Item	Hostellers	Day Scholars
1	Maintenance allowance (for 10 months only)	Rs. 10,000/- per annum (Rs.1000/- p.m)	Rs, 5,000/- per annum (Rs. 500/- p.m.)
2	Course fee*	Rs. 20,000/- per annum or actual whichever is less	Rs. 20,000/- per annum or actual whichever is less
	Total	Rs. 30,000/- (thirty thousand)	Rs.25,000 (twenty five thousand)

*Full course fee will be reimbursed for National Level Institutions such as IITs, IIM's etc.

Time Line (For Fresh & Renewal Scholarship)

Sr.No.	Activities	Date (Fresh/Renewal)
1	Submission of Online applications for scholarship by students	15th July to 31st October, 2016

HOW TO APPLY:

- Only Online Applications will be accepted and Offline Applications will be rejected.
- The students who are studying in other states but domiciled in Haryana will also apply online.
- The Students are advised to read the terms and conditions and Frequently Asked Questions (FAQs) available on the home page of website:- www.scholarships.gov.in before filling the online applications.
- Uploading of documents by students are made mandatory for Fresh and Renewal cases.** Scrutiny of online applications on the basis of uploaded documents will be done by respective institute/district as per the selected workflow.

Eligible candidate under this scheme will upload their application/attested copy of previous final examination certificate, income certificate, bank pass book, Pan Card & minority community certificate otherwise application will be rejected.

No action will be taken on the fresh/Renewal applications received after due date.

For more details go on www.minorityaffairs.gov.in & www.scholarships.gov.in

Director

Social Justice & Empowerment Department Haryana, Chandigarh